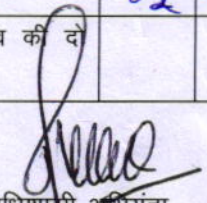


विषय सूची

परियोजना का नाम :-

क्र० सं०	प्रपत्र संख्या	प्रपत्र का विषय	कुल पृष्ठ	पृष्ठ सं० से	पृष्ठ सं० तक
1.	1	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण-पत्र	01	01	01
3	2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1	01	02	02
4	3	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-2	02	03	04
5	4	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-3	04	05	08
6.	5	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	05	09	13
7.	6	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	01	14	14
8.	7	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (Site Inspection Report)	01	15	15
9.	8	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	02	16	17
10.	9	डिजिटल मैप व सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 रिडिंग के साथ दर्शाया गया।	02	18	19
11.	10	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	01	20	20
12.	11	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	01	21	21
13.	12	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	01	22	22
14.	13	वैकल्पिक समरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	02	23	24
15.	14	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	01	25	25
16.	15	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	02	26	27
17.	16	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	01	28	28
18.	17	बार चार्ट।	01	29	29
19.	18	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	01	30	30
20.	19	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	01	31	31
21	20	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन/सारांश।	03	32	34
22.	21	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	01	35	35
23.	22	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र।	01	36	36
24.	23	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	01	37	37
25.	24	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	01	38	38
26.	25	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	01	39	39
27.	26	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	01	40	40
28.	27	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	01	41	41
29.	28	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	01	42	42
30.	29	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विशलेषण की सूचना अंकित करना। लागत लाभ विशलेषण के प्रपत्रों में परियोजना से होने वाले आर्थिक, सामाजिक एवं पारस्थितिकीय संतुलन का आंकलन। (5.00 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	03	43	45

		पारस्थितिकीय संतुलन का आंकलन। (5.00 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	—	—	—
31.	30	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	०९	५६	५५
32.	31	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	०१	५५	५५
33.	32	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान	०१	५६	५६
34.	33	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	०५	५७	६१
35.	34	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	०१	६२	६२
36.	35	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	०१	६३	६३
37.	36	मानक शतें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	०१	६५	६५
38.	37	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ ऐतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	०१	६५	६५
39.	38	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	०१	६६	६६
40.	39	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	०१	६७	६७
43.	40	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	०१	६८	६८
44.	41	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेंट का प्रमाण-पत्र।	०१	६९	६९
45.	42	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दसवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1.00 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	०१	७०	७०
46.	43	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	०३	७१	७३
47.	44.	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	०२	७५	७५
48.	45.	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	०२	७६	७७
49.	46.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/ दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	०५	७८	८२
50.	47.	प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	०१	८३	८३
51.	48.	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध।	०२	८५	८५
52.	49.	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	११	८६	९६
53.	50.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	०१	९७	९७
54.	51.	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	०१	९८	९८
55.	52.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	०२	९९	१००
56.	53.	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	०१	१०१	१०१
57.	54.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	०१	१०२	१०२
	55.	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व	०१	१०३	१०३
58.		कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।			
59.	56.	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	०१	१०४	१०४
60.	57	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	०२	१०५	१०६
		प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी०डी० पी०डी०एफ० फारमेट में उपलब्ध कराना।			


 अधिशासी अभियंता
 निर्माण खण्ड, को०नि०वि०, पुरोला